न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मप्र , ग्वालियर मध्यप्रदेश

निग - 2893 - II - 16

प्र.क. /2016 /निगरानी

अनिलकुमार पुत्र बालकिशन, वरिष्ठनागरिक
निवासी निजीनवग्रहमंदिरकेपीछे कमलागंज शिवपुरी --- आवेदक

बनाम

म. प्र. शासन ———— अनावेदक

दिनाँक 29-8-16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधि० द्वारा प्रस्तुत।
29-8-16
SO

निगरानी अतंर्गत धारा 50 मप्र भू राजस्व संहिता 1959 विरुध

अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के आदेश दिनांक 08/08/2016, प्रकरण क. 2/2015–16/ बी –129 जो ऐनेक्जर 1 है।

माननीय महोदय,

आवेदक का निगरानी आवेदन निम्नानुसार निवेदनार्थ प्रस्तुत है:–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– आवेदक के सन् 1860 (156 वर्षो की) वंशानुगत स्वत्वस्वामित्व एवं अधिकारिता की भूमि **तदसर्वे क. 221, 222, 223, 224, 225 (वर्तमान सर्वे क. 211, 212, 213, 214, 215)** स्थिति मोझा झिंगरा शिवपुरी है जिसके संबंध में **सेटलमेन्ट कमिशनर ग्वालियर के निर्णय दिनांक 09/04/1925** एवं तहसीलदार शिवपुरी के निर्णय **दिनांक 30/03/1963** में आवेदक के पूर्वजों द्वारा **संवत् 1917 (सन् 1860)से संवत् 2019 (सन् 1962)** यानी **102 वर्षो के उक्त सर्वे नम्बरान 221 लगायत 225 के स्वत्वस्वामित्व एवं आधिपत्य संबंधी मूल अभिलेख खसरे आदि प्रस्तुत किये गये** एवं इसी तार्यतम में **सिविल न्यायालय शिवपुरी के निर्णय दि. 19/4/1965 से भी सर्वे क. 221 लगायत 225** के स्वत्वस्वामित्व एवं अधिकारिता की आवेदक के पिता बालकिशन के स्वामित्व के ही होना निर्णित है जिसकी पुष्टी ऐडीजे शिवपुरी के निर्णय दि. 10/12/1965 से एवं **माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 21/7/1969** द्वारा भी की गई है। तदानुसार आवेदक को विभिन्न वर्षो के खसरे एवं **अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73** प्रदत्त है जिसमें भी **तदसर्वे क. 221 से 225 (वर्तमान 211 से 215)** आवेदक **के स्वामित्व के होना प्रमाणित है।** इसी संबंध में अन्य प्रमाणित अभिलेख सूची अनुसार सलग्न है। **इस प्रकार भूमि सर्वे क. 211,212,213,214,215 का आवेदक का वंशानुगत स्वत्वस्वामित्व आधिपत्य सन् 1860 से वर्तमान तक यानि 156 वर्षा से, तहसील न्यायालय से लेकर माननीय राजस्व मण्डल तक से एवं सिविल न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक के निर्णयों में निरवादरुपसे प्रमाणित है।**

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे 214– 215 का भी आवेदक रिर्काडेड भूमिस्वामी एवं हितबद्ध पक्षकार है तथा आवेदक की सन् 1860 से चली आरही वंशानुगत सम्पत्ति तद्सर्वे क. 221 लगायत 225 वर्तमान सर्वे 211 –215 है जिसके **अधिकार अभिलेख सन् 1972 –73 है जो सलग्न ऐनेक्जर 2 है जो प्र.क. 1/2004–05/ अ 6 अ मप्र शासन बनाम अनिलकुमार में प्रदत है तथा आवेदक के सन् 1951 एवं वर्तमान खसरा सर्वे क. 211,212,213,214,215 सलग्न है। जो ऐनेक्जर 3 एवं 4 है।**

A-1

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2893–दो/2016 जिला शिवपुरी ,

अनिल कुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण कमांक 02/2015–16/बी–129 में पारित आदेश , दिनांक 8–8–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि शासकीय तालाब एवं नगर पंचायत स्थित भूमि का बंटत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि शासन निर्देशानुसार तालाब की भूमि किसी को बंटन नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	